उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय

पक्षकारों के नाम: वादी/प्रार्थी ..... प्रतिवादी/विपक्षी .....

वाद/आपराधिक अपील/आवेदन संख्या .....

पक्षकारों को सुनी गई। वकील श्री ..... अभियोजन की ओर से अभियोजन की ओर से बार-बार अवसर दिया गया है। अतः अभियोजन की ओर से गवाह उपस्थित करने का अवसर समाप्त किया जाता है। अभियोजन की ओर से गवाह उपस्थित करने का अवसर समाप्त किया जाता है।

अतः आदेश किया जाता है।

1/5